



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2740]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2017/आश्विन 5, 1939

No. 2740]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2017/ASVINA 5, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017

का.आ. 3132(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2627 (अ), तारीख 28 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

और, नुगु वन्यजीव अभयारण्य 30.32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र होगा जो नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व का भाग है और अभयारण्य हाथी जनसंख्या जिसमें वयस्क हाथियों का विशेष अनुपात है;

और, अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, लकड़बग्घा, रीछ, गौर, सांभर, चीतल और चौसिंगा मृग का वास है और अभयारण्य में दो महत्वपूर्ण नदी तटीय वन्यजीव प्रजातियों अर्थात्, स्मूथ कोटेड ऊदविलाव और मार्श मगरमच्छ का भी वास है;

और, नुगु वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिक की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में नुगु वन्यजीव अभयारण्य, की सीमा से 0.32 किलोमीटर से 7.80 किलोमीटर तक के

विस्तारित क्षेत्र को नुगु वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार नुगु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0.32 किलोमीटर से 7.80 किलोमीटर तक है और ऐसे पारिस्थितिक जोन की सीमाओं का वर्णन **उपाबंध I** के रूप में दिया गया है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में मैसूर जिले के हेगेडादेवाकोटे ताल्लुक में II ग्राम और नन्जनागुड ताल्लुक के 2 ग्राम आते हैं तथा यह 28.38 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।

(3) अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) नुगु वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांक और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाएं **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले 13 ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति में जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि और बागवानी ;
- (iv) राजस्व;
- (v) नगर विकास;
- (vi) पर्यटन सहित पारिस्थितिक पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका और शहरी विकास;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन तब तक अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों, जो अधिक दक्ष और पारिस्थितिक अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास को भी सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग -** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलेक्स या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में सहायक हैं जिसमें ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

परंतु यह और कि राज्य सरकार के क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक और उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रकट होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप-पैरा के अधीन यथाउपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनरोपण और वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलसरणियों की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजनाएं सम्मिलित होंगी।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन** -- (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए तैयार की जाएगी जो ऐसी आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक, सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और परिवेश की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बनाए गए।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्साव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्साव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषणकारी तत्वों के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंध निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा;

(ख) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ग) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन सुरक्षित और पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन (ई एस एम) से पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सा.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन सुरक्षित पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन:-** परिवहन का यानीय संचलन और समय-समय पर यथासंशोधित अनुकूल रीति में विनियमित होगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने के समय तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** यान प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार की जाएगी और स्वच्छतर ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) फरवरी, 2016 में पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को तब तक अनुमति दी नहीं जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित करेगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री वाले विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि वह यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों तदधीन बनाए गए नियमों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) सभी नए और विद्यमान (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संश्लिमाण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों या ईंटों का निर्माण भी सम्मिलित है; को पूरा करने के सिवाय तुरन्त प्रभाव से प्रतिषिद्ध की जाती है; (ख) खनन संक्रियाएं रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अनुसार की जाएंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए उद्योग और विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। फरवरी, 2016 में जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को संवर्धित किया जाएगा।
3.	वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
10.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
11.	पवन मिलों का परिनिर्माण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

ख. विनियमित क्रियाकलाप		
12.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	<p>पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं।</p> <p>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना तथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होंगे या होगा।</p>
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी।</p> <p>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;</p> <p>(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;</p> <p>(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योग;</p> <p>(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में, जिस में ग्रह वास भी है, सहायक हो; और</p> <p>(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची :</p> <p>परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।</p> <p>(ख) ये एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
14.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि उद्यान, जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से बने उत्पादों का उत्पादन करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
15.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर के या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।</p>
16.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने अन्य तथा	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।

	बुनियादी ढांचे ।	
18.	नागरिक सुख-सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ किए जाएंगे।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ किए जाएंगे।
20.	गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे पर्यटन संबंधी अन्य क्रियाकलाप क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
23.	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि जल कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाहों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
25.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआं, बोर कुआं, आदि ।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
27.	टोस अपशिष्ट प्रबंधन/जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
32.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कुटीर उद्योग जिनके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	निम्नीकृत भूमि या वन या बास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

(क)	क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूरू	-अध्यक्ष;
(ख)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि विशेषज्ञ	सदस्य ;
(ग)	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि विशेषज्ञ	सदस्य ;
(घ)	प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है), का तीन वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रतिनिधि	सदस्य ;
(ङ)	क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूरू	सदस्य ;
(च)	कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला कर्नाटक राज्य के ख्याति प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य ;
(छ)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य ;
(ज)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि मैसूरू जिला	सदस्य ;
(झ)	वन निदेशक और संरक्षक, नुगु वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संविधा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अधीन नहीं आते हैं और पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, सारणी के पैरा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय उनकी संवीक्षा वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट स्थितियों के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा की जाएगी और संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान का उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति 31 मार्च तक के अपने सभी क्रियाकलापों संबंधी वार्षिक की गई कारवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उस वर्ष के 30 जून तक मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन होंगे।

[फा.सं. 25/11/2016-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध – I

नुगु वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर:- रेखा नल्लूर ग्राम के उत्तर पश्चिम भू-भाग से आरंभ होकर और हंचीपुर, नरसीपुरा की उत्तरी सीमाओं, कोथेगल ग्राम की पश्चिमी और उत्तर सीमाओं के साथ पूर्व की ओर जाती है और हलासुर ग्राम के साथ पुनः जाती है और हलासुर ग्राम सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है और नलुर की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है और जालाहल्ली के उत्तरी सीमा के साथ बन्नेगेरे सेन्टेनरी की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है और पूर्वी सीमा के साथ पुनः जाती है और उत्तरी सीमा से दुबारा और कोन्देगल से जाती है और कोन्देगल की उत्तरी सीमा के साथ इय्यानूर ग्राम के उत्तर पूर्व भाग के सामान्य जंक्शन से मिलती है।


पूर्व:- रेखा कन्देगलुर और आयनुरु के सामान्य बिंदु से आरंभ होकर और कुंदागलुर की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है और मधुवनाहल्ली की उत्तरी सीमा भाग से मिलती है और इसके बाद मधुवनाहल्ली की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है। और इसके बाद उत्तर के छोर और हैलीयुर और मधुवनाहल्ली की सामान्य सीमा के साथ जाते हैं, मधुवनाहल्ली, हैदीयाला और राजागंदेनाहल्ली के त्रि-जंक्शन बिंदु से मिलती है और इसके बाद हैदीयाला ग्राम की उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाती है और दक्षिण की ओर मुड़कर और उसके बाद हैदीयाला और चन्नागौदानाहल्ली की सामान्य सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाती है और हैदीयाला, चन्नागौदानाहल्ली और नलुर के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है, इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़कर और हैदीयाला और मुल्लूर के सामान्य तट पर भी जाती है और लोक्कलिंगे, हैदीयाला, चिलखाली, हादानूरु के त्रि-जंक्शन बिंदु से मिलती है और हैदीयाला और चिलखाली की सामान्य सीमा के साथ जाती है और इसके बाद हैदीयाला और हादानूरु, वदयानापुरा की सामान्य सीमा के साथ जाती है और हैदीयाला, हादानूरु, वदयानापुरा के त्रि-जंक्शन बिंदु के नगनापुरा खंड के 2 आरक्षित वन को छूती है। जब यह नगनापुरा खंड II आरक्षित वन को छूती है।


दक्षिण:- रेखा हादानूरु, वदयानापुरा, नगनापुरा खंड II आरक्षित वन एवं हैदीयाला के त्रि-जंक्शन बिंदु से आरंभ होकर नगनापुरा खंड II आरक्षित वन की उत्तरी सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है और नगनापुरा खंड I की उत्तरी सीमा के साथ पुनः जाती है और नुगु होले के नगनापुरा खंड I एवं अलागंची आरक्षित वन के सामान्य बिंदु पहुँचती है।


पश्चिम: रेखा नुगु होले के नगनापुरा राज्य वन एवं अलागंची राज्य वन से आरंभ होकर और अलागंची राज्य वन की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है और अलागंची की उत्तर सीमा के साथ पश्चिम की ओर मुड़कर और देवालापुरा एवं हुल्लेमाला ग्रामों के जंक्शन बिंदु से मिलती है और देवालापुरा ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर की ओर मुड़कर और मल्लाराजापुरा एवं लिंगाहल्ली की पूर्वी सीमा के साथ दुबारा सागेरे की पूर्वी सीमा के साथ पुनः जाती है और नल्लूर ग्राम की उत्तर पश्चिमी भू-भाग से मिलती है।

उपाबंध II

नुगु वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन को दर्शाने वाला मानचित्र







उपाबंध- III

नुगु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर मुख्य बिंदुओं के भू- निर्देशांक को दर्शाने वाली सारणी

मानचित्र आई.डी	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1	11	58	39.00	76	26	40.20
2	11	58	28.92	76	26	51.00
3	11	58	6.60	76	26	51.72
4	11	58	8.04	76	27	17.28
5	11	58	13.80	76	27	41.04
6	11	57	46.08	76	27	51.84
7	11	57	14.40	76	27	46.08
8	11	57	7.20	76	27	22.32
9	11	56	49.92	76	27	36.72
10	11	56	39.84	76	27	59.76
11	11	56	38.40	76	28	32.88
12	11	56	7.44	76	28	24.96
13	11	55	32.16	76	28	23.52
14	11	54	56.88	76	28	26.40
15	11	54	31.32	76	28	32.88
16	11	53	55.32	76	28	31.44
17	11	54	6.12	76	28	9.12
18	11	53	32.28	76	27	56.88
19	11	53	47.40	76	27	42.48
20	11	53	51.00	76	27	20.88
21	11	53	25.80	76	27	8.64
22	11	53	1.32	76	27	7.92
23	11	52	49.08	76	26	46.68
24	11	52	59.16	76	26	19.32
25	11	53	15.72	76	25	49.08
26	11	53	43.80	76	26	10.68
27	11	54	14.04	76	26	25.08
28	11	54	40.68	76	26	40.20
29	11	55	9.84	76	26	55.32
30	11	55	43.68	76	26	41.64
31	11	56	13.20	76	26	27.96
32	11	56	39.12	76	26	18.60
33	11	56	54.24	76	25	57.72

34	11	57	12.96	76	26	19.32
35	11	57	30.96	76	26	4.92
36	11	57	59.40	76	26	6.36
37	11	58	25.32	76	26	19.32
38	11	58	51.24	76	26	21.48
39	11	59	17.88	76	26	38.76

नुगु वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांक दर्शाने वाली सारणी

मानचित्र आई.डी	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकेंड	डिग्री	मिनट	सेकेंड
1	11	49	8.04	76	26	52.80
2	11	49	8.40	76	26	27.96
3	11	49	32.16	76	26	7.80
4	11	49	31.08	76	25	41.88
5	11	50	7.08	76	24	36.00
6	11	50	52.80	76	24	28.44
7	11	52	8.04	76	24	50.40
8	11	52	16.68	76	24	36.36
9	11	53	7.08	76	24	47.16
10	11	53	25.44	76	25	36.48
11	11	54	15.48	76	25	45.12
12	11	54	49.32	76	25	50.52
13	11	55	19.56	76	26	0.96
14	11	56	54.24	76	26	17.16
15	11	56	56.76	76	25	18.12
16	11	55	8.04	76	23	56.76
17	11	57	47.16	76	23	10.32
18	11	58	47.28	76	24	39.60
19	12	0	8.28	76	26	58.20
20	11	58	54.84	76	29	25.80
21	11	59	56.04	76	30	3.24
22	11	58	48.36	76	31	14.88
23	11	57	0.36	76	30	45.00
24	11	55	4.44	76	28	28.20
25	11	56	12.48	76	29	26.52
26	11	54	59.76	76	29	42.72
27	11	52	32.16	76	29	2.76
28	11	51	8.28	76	26	19.32

उपाबंध IV

नुगु वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र आई डी	ग्राम का नाम	तालुक	जिला	क्षेत्र हेक्टेयर में	अक्षांश			देशांतर			टिप्पणियां
					डिग्री	मिनट	सेकेंड	डिग्री	मिनट	सेकेंड	
1	नल्लूर	एच. डी कोटे	मैसूर	142.25	11	57	55.80	76	23	25.44	पूर्ण गांव
2	हंचीपुरा	एच. डी कोटे	मैसूर	70.18	11	57	46.08	76	23	53.88	पूर्ण गांव
3	नरसीपुरा	एच. डी कोटे	मैसूर	206.89	11	57	56.52	76	24	31.68	पूर्ण गांव
4	इय्यानापुरा	एच. डी कोटे	मैसूर	50.72	11	54	55.08	76	26	8.88	आंशिक गांव
5	चन्नागोव दानाहल्ली	एच. डी कोटे	मैसूर	344.12	11	57	15.48	76	29	8.88	पूर्ण गांव
6	रयागौ दानाहल्ली	नंनजानागुदु	मैसूर	203.17	11	57	16.56	76	30	4.68	पूर्ण गांव
7	कंदागला	नंनजानागुदु	मैसूर	482.93	11	58	3.36	76	30	39.24	पूर्ण गांव
8	बीरवाल	एच. डी कोटे	मैसूर	14.41	11	57	52.92	76	26	41.64	आंशिक गांव
9	मासाहल्ली	एच. डी कोटे	मैसूर	450.04	11	56	44.88	76	23	57.84	आंशिक गांव
10	गेदालअपयरा	एच. डी कोटे	मैसूर	67.84	11	56	22.20	76	24	47.52	आंशिक गांव
11	हलेयअर	एच. डी कोटे	मैसूर	200.01	11	57	11.88	76	25	3.72	आंशिक गांव
12	कोथेगल	एच. डी कोटे	मैसूर	305.48	11	58	54.84	76	25	40.80	आंशिक गांव
13	हलासअर	एच. डी कोटे	मैसूर	300.46	11	59	9.60	76	27	16.20	आंशिक गांव
कुल:				28.38 वर्ग किलोमीटर							

उपाबंध V**पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति—की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th September, 2017

S.O. 3132(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O 2627(E), dated 28th July, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification duly considered by the Central Govt.;

AND WHEREAS, the Nugu Wildlife Sanctuary will an area of 30.32 sq. Kms. is part of the Nilgiri Biosphere Reserve and the Sanctuary supports very high density of elephant population which has significant proportion of adult tuskers;

AND WHEREAS, the Sanctuary also harbours tiger, leopard, wild dog, striped hyena, sloth bear, gaur, sambhar, chital and four-horned antelope and the sanctuary also harbours two important riverine wildlife species, namely, smooth coated otter and marsh crocodile;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area to the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Nugu Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industry and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone to protect wildlife and their habitat therein or its environment;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 0.32 Kilo meters to 7.80 Kilometers from the boundary of Nugu Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka, as the Nugu Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The Eco-sensitive Zone has an extent varying from 0.32 Kilometers to 7.80 Kilometers from the boundary of Nugu Wildlife Sanctuary and the description of boundaries of such Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I**.

(2) The Eco-sensitive Zone includes 11 villages in Heggadadevanakote Taluk and 2 villages of Nanjanagud Taluk of Mysuru District of Karnataka State and it is spread over an area of 28.38 square kilometers.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary with latitudes and longitudes is appended as **Annexure II**;

(4) The Geo Coordinates of major points on the boundary of Nugu Wildlife Sanctuary and on the boundary of Eco-sensitive Zone boundary is appended as **Annexure-III**.

(5) The details of the list of 13 villages falling within the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

1. The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

2. The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

3. The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture and Horticulture;
- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism including eco-tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal and urban development;
- (x) Panchayati Raj;
- (xi) Public Works Department.

4. The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

5. The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

6. The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

7. The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

8. The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

9. The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.—

The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

1. Landuse:

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as.—

- (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) Small scale industries not causing pollution;
- (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) Promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

2. Natural water bodies: The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

3. Tourism/ Eco-tourism.—

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate

Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel or resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

4. Natural Heritage: All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

5. Man-made heritage sites: Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

6. Noise pollution: Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

7. Air pollution: Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

8. Discharge of effluents: Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

9. Solid wastes: Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

(b) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(c) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

10. Bio-medical waste: Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343(E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

11. Plastic Waste Management: The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

12. Construction and Demolition Waste Management: The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

13. E-waste: The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

14. Vehicular traffic: The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

15. Vehicular Pollution: Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

16. Industrial Units: (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

17. Protection of Hill Slopes: The protection of hill slopes shall be as under:

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

18. The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

S No	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.

	farms by firms, corporate, companies.	
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Erection of wind mills.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities		
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as.— (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) promoted activities listed in this Notification: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.

19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
24.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
26.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
27.	Solid Waste Management/Bio-medical Waste Management.	Regulated under applicable laws.
28.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
30.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
31.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee: — (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:—

- (a) Regional Commissioner, Mysuru -Chairman
- (b) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka -Member;
- (c) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka -Member;

- (d) One representative of Non-governmental Organisation working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka for three years -Member;
- (e) Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysuru -Member;
- (f) One expert in the field of Ecology from a reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka for three years -Member;
- (g) Member of the State Biodiversity Board -Member;
- (h) Deputy Commissioner or his representative, Mysuru District, -Member;
- (i) The Director and Conservator of Forests, Nugu Wildlife Sanctuary, Bandipur -Member-Secretary.

6. Terms of Reference:—

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
 - (2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V**.
 - (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/11/2016-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary description of the Eco-sensitive Zone around Nugu Wildlife Sanctuary

North: The line starts from North West corner of Nallur village and runs East along the northern of Hanchipur, Narasipura Western and North boundary of Kothegal Village and continuous along North boundary of Halasurvillage and twins South along Halasur Village boundary and runs East along Northern boundary Nullur and goes North along the Western boundary of Bannegere Centenary along the Northern boundary of Jalahalli and continuous along its Eastern boundary and continuous on northern boundary and Kundegal and meets the common junction of North East part of Iyyanur of village with Northern boundary of Kundegal.


East: The line starts common print of Kandegalur and Aynuru and runs south along the Eastern boundary of Kundagalur and meets and northern met boundary part of Maduvanahalli village and then runs south along the Eastern boundary of Maduvinahalli. And then heads north and along the common boundary and Heliyur and Maduvanahalli exreuers the tri-junction point of Maduvanahalli, Hediya and Rajagandehalli and then turns due west along northern boundary of hediya village and turns south and then West along the common boundary of Hediya and Channagoudanahalli and reaches the trijunction of Hediya, Chennagoundanahalli and Nullur then turn due South and run also common Banks of Mullur and Hediya and the Hediya and meetstrijunction of Lokkalige, Hediya Chilkhalli Hadanury and runs along the common boundary of Hediya and Chilkhalli and then along the common boundary Hediya and Hadanuru Vadeyanapura and touches Naganapur block two Reserve Forest at the tri-junction of Hediya Hadanuru Vadeyanapura, when it touches Naganapura Block II Reserve Forest.

South: The line started at tri-junction point of Hadanur, Vadeyanapura, Naganapura Block II Reserve Forest and Hediya and runs due south and an along the Northern boundary of Naganapura Block II Reserve Forest and continuous along the Northern boundary Naganapura Block-I and reaches the common point of Naganapura block I and Alaganchi Reserve Forest at Nugu hole.

West: The line started at commence of Naganapura State Forest and Alaganchi Star Forest at Nugu hole and runs North along Eastern boundary of Alaganchi State Forest and turns continuous West along the North boundary of Alaganchi and meets the junction point of Devalapur and Hullemala villages and the turns North along the Eastern boundary of Devalapura village and continuous along the eastern boundary Mallaraja pura and Lingahalli continues along the Eastern boundary of sagere and meets North-western corner of Nallur village.

ANNEXURE-II

Map showing the Eco-sensitive Zone around Nugu Wildlife Sanctuary




**ANNEXURE-III**

Table showing Geo Coordinates of major points on the boundary of Nugu Wildlife Sanctuary.

Map id	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	11	58	39.00	76	26	40.20
2	11	58	28.92	76	26	51.00
3	11	58	6.60	76	26	51.72
4	11	58	8.04	76	27	17.28
5	11	58	13.80	76	27	41.04
6	11	57	46.08	76	27	51.84
7	11	57	14.40	76	27	46.08

8	11	57	7.20	76	27	22.32
9	11	56	49.92	76	27	36.72
10	11	56	39.84	76	27	59.76
11	11	56	38.40	76	28	32.88
12	11	56	7.44	76	28	24.96
13	11	55	32.16	76	28	23.52
14	11	54	56.88	76	28	26.40
15	11	54	31.32	76	28	32.88
16	11	53	55.32	76	28	31.44
17	11	54	6.12	76	28	9.12
18	11	53	32.28	76	27	56.88
19	11	53	47.40	76	27	42.48
20	11	53	51.00	76	27	20.88
21	11	53	25.80	76	27	8.64
22	11	53	1.32	76	27	7.92
23	11	52	49.08	76	26	46.68
24	11	52	59.16	76	26	19.32
25	11	53	15.72	76	25	49.08
26	11	53	43.80	76	26	10.68
27	11	54	14.04	76	26	25.08
28	11	54	40.68	76	26	40.20
29	11	55	9.84	76	26	55.32
30	11	55	43.68	76	26	41.64
31	11	56	13.20	76	26	27.96
32	11	56	39.12	76	26	18.60
33	11	56	54.24	76	25	57.72
34	11	57	12.96	76	26	19.32
35	11	57	30.96	76	26	4.92
36	11	57	59.40	76	26	6.36
37	11	58	25.32	76	26	19.32
38	11	58	51.24	76	26	21.48
39	11	59	17.88	76	26	38.76

Table showing Geo Coordinates of major points on the Eco-sensitive Zone boundary around Nugu Wildlife Sanctuary.

Map id	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	11	49	8.04	76	26	52.80
2	11	49	8.40	76	26	27.96
3	11	49	32.16	76	26	7.80
4	11	49	31.08	76	25	41.88
5	11	50	7.08	76	24	36.00
6	11	50	52.80	76	24	28.44
7	11	52	8.04	76	24	50.40
8	11	52	16.68	76	24	36.36

9	11	53	7.08	76	24	47.16
10	11	53	25.44	76	25	36.48
11	11	54	15.48	76	25	45.12
12	11	54	49.32	76	25	50.52
13	11	55	19.56	76	26	0.96
14	11	56	54.24	76	26	17.16
15	11	56	56.76	76	25	18.12
16	11	55	8.04	76	23	56.76
17	11	57	47.16	76	23	10.32
18	11	58	47.28	76	24	39.60
19	12	0	8.28	76	26	58.20
20	11	58	54.84	76	29	25.80
21	11	59	56.04	76	30	3.24
22	11	58	48.36	76	31	14.88
23	11	57	0.36	76	30	45.00
24	11	55	4.44	76	28	28.20
25	11	56	12.48	76	29	26.52
26	11	54	59.76	76	29	42.72
27	11	52	32.16	76	29	2.76
28	11	51	8.28	76	26	19.32

ANNEXURE-IV

Details of the list of villages falling within the Eco-sensitive Zone around Nugu Wildlife Sanctuary.

Map id	Village name	Taluk	District	Area in Ha	Latitude			Longitude			Remarks
					Deg	Mins	Secs	Deg	Mins	Secs	
1	Nallur	H.D.Kote	Mysuru	142.25	11	57	55.80	76	23	25.44	Full Village
2	Hanchipura	H.D.Kote	Mysuru	70.18	11	57	46.08	76	23	53.88	Full Village
3	Narasipura	H.D.Kote	Mysuru	206.89	11	57	56.52	76	24	31.68	Full Village
4	Iyyanapura	H.D.Kote	Mysuru	50.72	11	54	55.08	76	26	8.88	Partial Village
5	Channagowdanahalli	H.D.Kote	Mysuru	344.12	11	57	15.48	76	29	8.88	Full Village
6	Rayagaudanhalli	Nanjanagudu	Mysuru	203.17	11	57	16.56	76	30	4.68	Full Village
7	Kandagala	Nanjanagudu	Mysuru	482.93	11	58	3.36	76	30	39.24	Full Village
8	Beerval	H.D.Kote	Mysuru	14.41	11	57	52.92	76	26	41.64	Partial Village

9	Masahalli	H.D.Kote	Mysuru	450.04	11	56	44.88	76	23	57.84	Partial Village
10	Geddalapura	H.D.Kote	Mysuru	67.84	11	56	22.20	76	24	47.52	Partial Village
11	Haleyur	H.D.Kote	Mysuru	200.01	11	57	11.88	76	25	3.72	Partial Village
12	Kothegala	H.D.Kote	Mysuru	305.48	11	58	54.84	76	25	40.80	Partial Village
13	Halasur	H.D.Kote	Mysuru	300.46	11	59	9.60	76	27	16.20	Partial Village
Total:				28.38							
				Sq.							
				Kms							

ANNEXURE – V**Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.